ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा

अभिषद् की बैठक दिनांक 12.12.2017 का कार्यवृत्त

समयः 02:00 बजे

स्थानः माननीय कुलपति महोदय के आवासीय सभागार

उपस्थिति

1.	प्रो0 सुरेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डा0 अजय नाथ झा	–	सदस्य
3.	डा0 भोला चौरसिया	–	सदस्य
4.	डा0 अमर कुमार	–	सदस्य
5.	डा0 अजीत कुमार चौधरी	–	सदस्य
6.	डा0 एन0के0 अग्रवाल	–	सदस्य
7.	डा0 अवधेश कुमार सिंह	–	सदस्य
8.	डा0 डी0 एन0 पासवान	–	सदस्य
9.	डा0 अरूणिमा सिन्हा	–	सदस्य
10.	डा0 बिरेन्द्र कुमार चौधरी	–	सदस्य
11.	श्रीमतीइस्मत जहाँ	–	सदस्य
12.	डा0 बैद्यनाथ चौधरी	–	सदस्य
13.	डा0 विनोद कुमार चौधरी	–	सदस्य
14.	डा0 फैयाज अहमद	–	सदस्य
15.	डा0 मदन मोहन झा	–	सदस्य
16.	श्री चन्दनयादव	–	सदस्य
17.	श्रीमती नीलिमा ठाकुर	–	सदस्य
18.	श्री लक्ष्मेश्वर राय	–	सदस्य
19.	डा उपेन्द्र कुमार	–	सदस्य
20.	डा0 महेन्द्र प्रसाद सिंह	–	सदस्य
21.	मो0 अमानुल हक	–	विशेष आमंत्रित सदस्य
22.	श्री विनोद कुमार, वित्त पदाधिकारी	–	विशेष आमंत्रित सदस्य
23.	मुस्तफा कमाल अंसारी, कुलसचिव	–	सचिव

माननीय अध्यक्ष सह कुलपति महोदय ने आगत सभी सदस्यों को अभिवादन किया उसके वाद कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया नवनियुक्त वित्त पदाधिकारी श्री विनोद कुमार से परिचय करते हुए, कोरम पूरा होने की सूचना प्रदान किया और बैठक की विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने की अनुमति माननीय कुलपति–सह–अध्यक्ष महोदय से माँगी, तदुपरान्त अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की विधिवत् कार्यवाही कुलसचिव ने प्रारम्भ की।

मद सं0 1. अभिषद् की गत बैठकदिनांक 08.10.2017 के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार।

Dev-324/17
18-12-17

निर्णयः अभिषद् की बैठक दिनांक 08.10.2017 के कार्यवृत को पढ़ा गया तदोपरान्त अतिरिक्त मद सं 03 में मुद्रण त्रुटि सुधार के साथ प्रेस समिति की बैठक दिनांक 08.01.2017 के स्थान पर प्रस्ताव एवं निर्णय में दिनांक 29.08.2017 अंकित कर पढ़े जाने की सहमति दी गयी । उक्त संशोधन के साथ गत बैठक के सभी निर्णयों को यथावत सम्पुष्ट किया गया।

मद सं0 2. अभिषद् की बैठक दिनांक 08.10.2017 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन–प्रतिवेन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, अभिषद् की बैठक दिनांक 08.01.2017 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन–प्रतिवेन पर सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। परिशिष्ट –(क) पृ0सं0–(8–15)

मद सं0 3. विद्वत् परिषद् की बैठक दिनांक 27.11.2017 की कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, विद्वत् परिषद् की बैठक दिनांक 27.11.2017 की कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया।परिशिष्ट –(ख) पृ0सं0–(16–20)

मद सं0 4. वित्त समिति की प्रस्तावित बैठक दिनांक 09.12.2017 द्वारा पारित विष्वविद्यालय के वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः वित्त समिति की प्रस्तावित बैठक दिनांक 09.12.2017 द्वारा पारित विश्वविद्यालय के वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक पर विचार किया गया। विचारोपरान्त, 2018–19 के आय–व्ययक में कतिपय त्रुटियों को देखे जाने हेतु एक त्रीसदस्यीय समिति गठन किये जाने का निर्णय लिया गया जिसमें निम्न सदस्य होंगे–

1. वित्त परामर्शी
2. डा0 अनिल कुमार झा, माननीय सदस्य, वित्त समिति
3. डा0 महेन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य, अभिषद्

साथ ही वि0 वि0 अधीन सभी चार जिले के महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्षों /एवं स्ववित्तपोषित संस्थानो के निदेशकों को निर्देशित किया गया कि अपने संस्थानों के आय–व्याय की सभी त्रुटियों सही आवलोकन कर तीन दिनो अंदर उपरोक्त समिति को हस्तगत करेंगे तथा समिति को निर्देशित किया गया कि वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में हुई त्रुटियों के सभी पक्षों में सुधार के साथ अंतिम रूप से संशोधित/तैयार बजट छः दिनों के अंदर आगामी अभिषद् की बैठक में अनुमोदन हेतु समर्पित करेंगे।

परिशिष्ट –(ग) पृ0सं0–(21–22)

मद सं0 5. अभिषद् (सिनेट) की प्रस्तावित बैठक दिनांक 22.12.2017 के लिए निर्गत सम्पूर्ण कार्य सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, अभिषद् (सिनेट) की प्रस्तावित बैठक दिनांक 22.12.2017 के लिए निर्गत सम्पूर्ण कार्य सूची केमद सं0 15 में एन0 सी0 टी0 ई0 के पत्रांक**F.ERC/NCTE/BR-S/E-2/96/B.Ed.(Revised Order)/2015/32737** दिनांक 31.05.2015 के विन्दु 5 के अनुसंषा के आलोक में **To allow for enhancement of intake in B.Ed. for 10 seats only for Session 2017-19** के स्थान पर**'To allow for enhancement of intake in B.Ed. for 10 seats only from Session 2017-19'** अंकित किये जाने की सहमति बनी। साथ ही कार्यसुची अनुमोदित करते हुए आवश्यक मदों को शामिल किये जाने /संशोधनों हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।परिशिष्ट –(घ) पृ0सं0–(23–26)

मद सं0 6. परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 26.08.2017 एवं 13.09.2017 की कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, परिषद् की बैठक दिनांक 26.08.2017 एवं 13.09.2017 की कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(ङ) पृ0सं0–(27–30)

मद सं0 7. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के सम्पन्न 79वीं सलाहकार समिति की पारित कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के सम्पन्न 79वीं सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 21.11.2017 में पारित निर्णयों को अनुमोदित किया गया।परिशिष्ट –(च) पृ0सं0–(31–37)

मद सं0 8. श्रीमती शान्ता कुमारी सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापक, श्रम एवं समाज कल्याण विभाग, जे0एम0डी0पी0एल0एम0 कॉलेज, मधुबनी को माननीय कुलपति महोदय के आदेश से स्वीकृत (क) रूपान्तरित अवकाश 61 दिनों का (ख) अर्द्धवैतनिक अवकाश 180 दिनों का (ग) अर्जित अवकाश 220 दिनों का एवं (घ) असाधारण अवैतनिक अवकाश 91 दिनों पर अभिशद् की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, प्रस्तव पर स्वीकृति नही प्रदान की गयी।

मद सं0 9. बिहार कॉलेज सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में रसायनशास्त्र एवं गणित विषयों के नवनियुक्त व्याख्याताओं की नियुक्ति एवं पदस्थापन के घटनोत्तर अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त,बिहार कॉलेज सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में रसायनशास्त्र एवं गणित विषयों के नवनियुक्त व्याख्याताओं की नियुक्ति एवं पदस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। परिशिष्ट –(छ) पृ0सं0–(38–41)

मद सं0 10. To consider the Advisory Council meeting held on 24.11.2017 in University Department of Biotechnology, L.N. Mithila University, Darbhanga.

निर्णयः **Theproceedings of Advisory Council meeting held on 24.11.2017 in University Department of Biotechnology, L.N. Mithila University, Darbhanga was approved.** परिशिष्ट –(ज) पृ0सं0–(42)

मद सं0 8. अतिरिक्त यदि कोई हो(अध्यक्ष की अनुमति से)।

अतिरिक्त मदः 01. डॉ0 बदरे आमल खाँ, पूर्व प्रधानाचार्य, सी0एम0 लॉ कॉलेज, दरभंगा के संबंध में दिनांक 08.11.2017 को आहूत अनुशासन समिति के निर्णय पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त,डॉ0 बदरे आमल खाँ, पूर्व प्रधानाचार्य, सी0एम0 लॉ कॉलेज, दरभंगा के संबंध में दिनांक 08.11.2017 को आहूत अनुशासन समिति के निर्णय को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(झ) पृ0सं0–(44–36)

अतिरिक्त मदः 02. विभिन्न सम्बद्ध महाविद्यालयों में शासी निकाय के पुनर्गठन पर विचार।

निर्णयः विभिन्न प्रस्तावित छः सम्बद्ध महाविद्यालयों में शासी निकाय के पुनर्गठन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।परिशिष्ट –(ञ) पृ0सं0–(44–46)

अतिरिक्त मदः 03. शुकदेव महतो जनता महाविद्यालय, खाजेडीह (मधुबनी) के शासी निकाय का दाता सदस्य घोषित करने पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम के प्रावधान के अनुरूप अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर लिगल ओपेनियन प्रप्त कर शुकदेव महतो जनता महाविद्यालय, खाजेडीह (मधुबनी) के शासी निकाय का दाता सदस्य घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त मदः04. विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र ज्ञापांक 6077 दिनांक 05.05.2017 में अंकित नाम में हुयी त्रुटि को ठीक करने के संबंध में विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त,विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र ज्ञापांक 6077 दिनांक 05.05.2017 में अंकित नाम में हुयी त्रुटि को सुधार कर ममता कुमारी किये जाने की सहमति बनी।

अतिरिक्त मदः 05. To consider the Advisory Council meeting of Women's Studies was held on 01.12.2017.

निर्णयः **The proceedings of Advisory Council meeting of Women's Studies held on 01.12.2017 was approved.**परिशिष्ट–(ट) पृ0सं0–(47)

अतिरिक्त मदः 06. विभागीय सलाहकार समिति की 79वीं बैठक के मद संख्या 79.5 के तहत लिए गए निर्णय को अभिषद् के समक्ष विचारार्थ उपस्थापित।

निर्णयः **विचारोपरान्त,विभागीय सलाहकार समिति की 79वीं बैठक दिनांक 21.11.2017 के मद संख्या 79.5 एव 79.8 के तहत लिए गए निर्णय उपरोक्तमद सं0 07 के अधीन अनुमोदित है। दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो के पत्र के आलोक में विद्यालयों में संचालित अध्ययन केन्द्रों को बंद किये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने की सहमति प्रदान की गयी।**

अतिरिक्त मदः 07. कॉलेज सेवा आयोग द्वारा संस्तुत प्रथम स्वीकृत पद के विरूद्ध श्री बिरेन्द्र कुमार की स्थायी नियुक्ति राज्य सरकार के पत्रांक 537 दिनांक 19.02.1979 की कंडिका 4(ग), परन्तुक के अनुरूप आयोग की संस्तुति संबंधी पत्र निर्गत की तिथि/योगदान की तिथि, जो बाद में हो, से अनुमोदन करने हेतु मामला अभिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः विचारोपरान्त,कॉलेज सेवा आयोग द्वारा संस्तुत प्रथम स्वीकृत पद के विरूद्ध श्री बिरेन्द्र कुमार की स्थायी नियुक्ति राज्य सरकार के पत्रांक 537 दिनांक 19.02.1979 की कंडिका 4(ग), परन्तुक के अनुरूप आयोग की संस्तुति संबंधी पत्र निर्गत की तिथि/योगदान की तिथि, जो बाद में हो, सेकिये जाने की स्वीकृति दी गयी।

अतिरिक्त मदः 08. वर्ष 2015 में शिक्षकेत्तर कर्मचारी द्वारा किये गये हड़ताल अवधि के समायोजन के संबंध में विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, वर्ष 2015 में शिक्षकेत्तर कर्मचारी द्वारा किये गये हड़ताल अवधि के समायोजन के संबंध में लिगल ओपेनियन प्राप्त कर नियमानुकूल प्रक्रिया के अंतर्गत किये जाने की सहमति बनी।**

अतिरिक्त मदः 09. अनुमोदन वरीयता एवं वेतन निर्धारण समिति के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, अनुमोदन वरीयता एवं वेतन निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 08.12.2017 के कार्यवृत को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(ठ) पृ0सं0–(48–50)**

अतिरिक्त मदः 10. राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के पत्रांक LNMU-14/2016-2429/G.S. दिनांक 22.08.2017 के निदेश के आलोक में पुनरीक्षित एम0डी0एस0 रेगुलेशन एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति के संबंधन में विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त,राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के पत्रांक **LNMU-14/2016-2429/G.S.** दिनांक 22.08.2017 के निदेश के आलोक में पुनरीक्षित एम0डी0एस0 रेगुलेशन एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गयी। परिशिष्ट –(ड) पृ0सं0–(51)

12/12/17

अतिरिक्त मद : 11.	सरयुग डेन्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, लहेरियासराय, दरभंगा में एम0डी0एस0 कोर्स की पढ़ाई प्रारम्भ किये जाने हेतु NOC/consent of affiliation in principle दिये जाने पर विचार।
निर्णयः	**विचारोपरान्त,सरयुग डेन्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, लहेरियासराय, दरभंगा में एम0डी0एस0 कोर्स की पढ़ाई प्रारम्भ किये जाने हेतु NOC/consent of affiliation in principle दिये जाने की सहमति बनी। परिशिष्ट –(ढ़) पृ0सं0–(52–53)**
अतिरिक्त मदः 12.	सम्बन्धन एवं नई शिक्षण कार्यक्रम समिति तथा विद्वत परिषद् की बैठक दिनांक 27.11. 2017 में की गई अनुशंसा के आलोक में विधि महाविद्यालय, समस्तीपुर को सत्र 2018–2021 से स्थायी संबंधन प्रदान करने का मामला अभिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत है।
निर्णयः	**विचारोपरान्त, सम्बन्धन एवं नई शिक्षण कार्यक्रम समिति तथा विद्वत परिषद् की बैठक दिनांक 27.11.2017 में की गई अनुशंसा के आलोक में विधि महाविद्यालय, समस्तीपुर को सत्र 2018–2021 से स्थायी संबंधन प्रदान किये जाने की सहमति दी गयी।**
अन्यन्य मदः 1.	विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के संकाय का नामाकरण राज्य सरकार के पत्र के आलोक में किये जाने पर विचार।
निर्णयः	**विचारोपरान्त, विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के संकाय का नामाकरण राज्य सरकार के पत्र के आलोक में "ललित कला संकाय" किये जाने की सहमति दी गयी।**
अन्यन्य मदः 2.	नामांकन समिति की बैठक दिनांक:07.12.2017 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।
निर्णयः	**विचारोपरान्त, नामांकन समिति की बैठक दिनांक:07.12.2017 के कार्यवृत को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(ण) पृ0सं0–(54)**
अन्यन्य मदः 3.	बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संषोधित) अधिनियम 2017 अतिरिक्त में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत सम्बद्ध महाविद्यालय में शेष बचे रिक्त पदों पर शेष बचे षिक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन हेतु चयनय समिति गठन किये जाने पर विचार।
निर्णयः	**विचारोपरान्त, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधित) अधिनियम 2017 अतिरिक्त में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत सम्बद्ध महाविद्यालय में शेष बचे रिक्त पदों पर शेष बचे शिक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन हेतु चयनय समिति गठित किये जाने की सहमति दी गयी।**
अन्यन्य मदः 4.	दिनांक 20.11.2017 को आयोजित शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के प्रोन्नति से संबंधित आयोजित प्रोन्नति समिति की बैठक के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।
निर्णयः	**विचारोपरान्त, दिनांक 20.11.2017 को आयोजित शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के प्रोन्नति हेतु आयोजित प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवृत को अनुमोदित किया गया । परिशिष्ट –(त) पृ0सं0–(55)**
अन्यन्य मदः 5.	विश्वविद्यालय अंतर्गत नरगौना परिसर अवस्थित जुबली हॉल को दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अधीन किये जाने पर विचार।
निर्णयः	**विचारोपरान्त, विश्वविद्यालय अंतर्गत नरगौना परिसर अवस्थित जुबली हॉल के देख–रेख की व्यवस्था का भार दूरस्थ शिक्षा निदेशालय को दिए जाने की सहमति बनी।**
अन्यन्य मदः 6.	अधिषद् की आहुत बैठक दिनांक 22.12.2017 के प्रश्नोत्तर एवं अन्य आवश्यक कार्य संपादन हेतु समिति गठन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, अधिषद् की आहुत बैठक दिनांक 22.12.2017 के प्रश्नोत्तर एवं अन्य आवश्यक कार्य संपादन हेतु एक समिति गठित किये जाने की सहमति दी गयी। गठित समिति में निम्नांकित व्यक्ति को नामित किया गया–

1. डा0 अजित कुमार चौधरी –मा0 अभिषद् सदस्य –सदस्य
2. डा0 अरूणिमा सिन्हा – मा0 अभिषद् सदस्य –सदस्य
3. डा अजय नाथ झा – मा0 अभिषद् सदस्य –सदस्य
4. डा0 सुरेन्द्र कुमार सुमन – उप–कुलानुशासक –सदस्य

उपरोक्त समिति के सहायता हेतु सहायक के रूप में श्री विनोदानन्द मिश्र,सहायक,कुलसचिव कार्यालय को निर्देशित किया गया।

अन्यन्य मदः 7. भी0 एस0 जे0 कॉलेज,राजनगर मधुबनी के पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा किए गये गलत भूगतान के संबंध जॉच हेतु एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया जिसमें निम्न सदस्य होंगे–

1. डा0 अमर कुमार –मा0 अभिषद् सदस्य –सदस्य
2. डा0 प्रेम कुमार प्रसाद– प्रधानाचार्य, जे0एमडी0पी0 एल0 मधुबनी –सदस्य
3. वित्त पदाधिकारी – एल0 एन0 एम0 यू0,दरभंगा –संयोजक

अन्यन्य मदः 8. स्वामी विवेकानन्द शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, दरभंगा में अंग्रेजी के नियुक्त शिक्षक को मनमाने ढ़ंग से हटाए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयों के जॉच हेतु पूर्व के गठित समिति दरभंगा जिला से मामले की जॉच करायी जाय।

अन्यन्य मदः 9. चतुर्थ चरण में अंगीभूत महाविद्यालयों के वैसे शिक्षकों जिसका मामला न्ययालय में नही है के प्रोन्नति एवं वैसे शिक्षकों जिसके संबंध में न्यादेश राज्य सरकार को प्राप्त है की स्टेटस विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये जाने का आग्रह किया गया।

अन्यन्य मदः 10. स्वेता, शिक्षिका, दूरस्थ शिक्षा निदेशलय सजाद मंजर, के मामले को देखे जाने का आग्रह माननीय अध्यक्ष महोदय से किया गया।

अन्यन्य मदः 11. आउटर्सोस में नियुक्त कर्मियों की मानदेय वृद्धि से संबंधित अधिसूचना **SC/10/17** दिनांक 15.01.2017 में दिये गये लाभ दिनांक 31.12.2015 को 01.04.2015 से एकिकृत कर अनुपालित किये जाने का आग्रह माननीय कुलपति महोदय से किया।

अन्यन्य मदः 12. के0भी0एस0 कॉलेज, उच्चैठ, मधुबनी में नियमानूकुल नियुक्त कर्मियों के वर्षों से लम्बित वेतन भुगतान किये जाने का आग्रह मननीय कुलपति महोदय से किया।

अन्यन्य मदः 13. संतकबीर महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के लैब इनचार्ज श्री विनोद कुमार एवं अंग्रेजी, के शिक्षक, श्री नवीन कुमार निरंजन के मामले का जॉच किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्यन्य मदः 14. संबद्ध महाविद्यालयों के रिकोमेन्डेड पद के शिक्षकों के सुचना निर्गत किये जाने की सहमति बनी।

अन्यन्य मदः 15. बी0 पी0 एस0 सी0 द्वारा नियुक्त सहायक प्रध्यापकों को वेतन यदि आवश्यकता हो तो आंतरिक स्रोत से किये जाने की सहमति दी गयी।

अन्यन्य मदः 16. जी0 डी0 कॉलेज के अवकाशप्राप्त शिक्षक श्री विजय मोहन सिंह, मनोविज्ञान के मामले को देखे जाने का आग्रह कुलपति महोदय से किया गया।

अन्यन्य मदः 17. सिनेट के आजीवन सदस्यता से संबंधित समिति जॉच जिसका सम्पन किया जा चुका है उसे महामहिम कुलाधिपति महोदय सचिवालय भेजने का आग्रह माननीय अध्यक्ष महोदय से किया गया।

अन्यन्य मदः 18. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मीयों को पुनरीक्षीत वेतन दिये जाने का आग्रह माननीय अध्यक्ष महोदय से किया गया।

अन्यन्य मदः 19. डा0 सोहेल अक्तर के मामले को देखें जाने का आग्रह माननीय कुलपति महोदय से किया।

बैठक के अंत में कुलसचिव द्वारा बैठक के संचालन में सहयोग एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करने हेतु सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पचात् माननीय अध्यक्ष–सह–कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गयी।

ह0/–
(मुस्तफा कमाल अंसारी)
कुलसचिव–सह–सचिव

ह0/–
(सुरेन्द्र कुमार सिंह)
कुलपति–सह–अध्यक्ष

ज्ञापांक : UB 2551-2604/17

दिनांक : 12.12.17

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. अभिषद् के सभी माननीय सदस्य, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
3. निदेशक,उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
4. उप–सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
5. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
6. सभी पदाधिकारी/कुलपति के सचिव/प्रति–कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

12.12.17

कुलसचिव